सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16

ध्येय : सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान
उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2015—16

❖ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

❖ उपभोक्ता मामले विभाग

हैल्प लाइन—1800 180 6030 (टोल फ्री)

अनुक्रम

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	विभाग की स्थापना	1
3	कार्य संपादन	2
4	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	3
4	खाद्य सुरक्षा योजना	3
5	नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड	4
6	आवश्यक वस्तुओं का आबंटन, मापदण्ड एवं मूल्य	4
7	विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएं	5
8	चीनी	7
9	केरोसीन	7
10	एलपीजी	9
11	उचित मूल्य दुकानों का आवंटन	9
12	उपभोक्ता मामले विभाग	21–22
14	वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान	23
15	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	24–36
16	परिशिष्ठ 1 से 8	37–48

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है। इस जनसंख्या में 515.00 लाख ग्रामीण और 170.48 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। राज्य के सभी श्रेणी के परिवारों, यथा– बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरम्भ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारम्भ 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 में प्रारंभ की गई थी।

विभाग की स्थापना

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन एवं उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का सफलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग की स्थापना की गई । पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्यान्न प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य में आवंटन, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 लागू करने के साथ ही राज्य में भी वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी सम्पादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून, 2001 को विभाग का नाम खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग किया गया। कालान्तर में मंत्रीमण्डल की आज्ञा 205/2013 के क्रम में अंकित खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से "उपभोक्ता मामले विभाग" को पृथक किये जाने के लिए राजस्थान कार्यविधि नियमों में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया व अनुमोदित प्रारूप के अनुसार मंत्रीमण्डल सचिवालय द्वारा क्रमांक एफ 27(1)केबिनेट/2013 दिनांक 26.09.2013 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं :—

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की माँग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण करना।
- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों, यथा— गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की खुले बाजार में कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम एवं नेफेड के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

उपभोक्ता मामले विभाग

- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना
- उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने संबंधी कार्य करना
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन
- राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का संचालन
- राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का संचालन
- उपभोक्ता क्लबों का संचालन
- राष्ट्रीय एवं विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन
- उपभोक्ता साहित्य का मुद्रण एवं प्रबंधन

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया जा रहा है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य हैं :-

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स के माध्यम से तहसील/पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर आवंटित सामग्री संबंधित उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती हैं।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 25366 उचित मूल्य की दुकानें स्थापित हैं, जिनमें से 5921 शहरी क्षेत्र में एवं 19445 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना **परिशिष्ट– "1"** पर हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं में आवंटन–उठाव का विवरण **परिशिष्ट–"2"** पर है।

खाद्य सुरक्षा योजना

राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्य में 02 अक्टूबर,2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के तहत शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हुए राज्य के पात्र लाभार्थियों के लिये प्रतिमाह 2,32,631 मै.टन गेहूं आवंटित किया जा रहा है, जिसे सभी चयनित/पात्र लाभार्थियों में वितरित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के लगभग 427 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों हेतु 2.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध

कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का जिलेवार विवरण (दिसम्बर, 2015) परिशिष्ट–"3" पर है।

नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण कार्य के अन्तर्गत राज्य में डिजिटाईज्ड राशनकार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा हैं। संपूर्ण राज्य में डिजिटाईज्ड राशनकार्ड तैयार किये जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 97(6)खा.वि./सा.वि.प्र./ 2010 पार्ट–2 दिनांक 01.06.2012 से सभी जिला कलक्टर्स/जिला रसद अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

1 अप्रैल, 2015 से नवीन/डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड्स में सदस्यों के नाम जोड़ने/घटाने एवं त्रुटि सुधार का कार्य संबंधित विभागीय प्राधिकृत अधिकारियों एवं ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा रहा है। नवीन डिजिटाईज्ड राशनकार्ड्स बनाने के कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिए समस्त जिला मुख्यालय पर स्थित नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका क्षेत्रों में प्रवर्तन अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.06.2015 तथा प्रवर्तन निरीक्षको को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 एवं 11.12.2015 को जारी की गई। संपूर्ण राज्य में 1.99 करोड राशनकार्ड्स तैयार कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत "अन्त्योदय परिवारों" को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार तथा "अन्य पात्र लाभार्थियों" को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट 2.00 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. राज्य के अन्त्योदय श्रेणी में चयनित बांरा जिले के सहरिया जनजाति एवं उदयपुर जिले के कथौड़ी परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रतिमाह 35 किग्रा. गेहूं प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

3. बीपीएल परिवारों (अन्त्योदय अन्न योजना चयनित परिवारों सहित) को चीनी 650 ग्राम प्रति इकाई प्रतिमाह, रूपये 13.50 प्रति किग्रा. की दर से वितरित की जा रही है।

4. बिना गैस कनेक्शनधारी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को केरोसीन 4 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 17.50 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएँ

राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 97(1) खा.वि./साविप्र/2010–11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :–

1	जिला मुख्यालय नगरीय क्षेत्र में	जिला रसद अधिकारी/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी
2	शेष नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में	नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त
3	ग्रामीण क्षेत्र के लिए	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति
4	राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अन्य कोई अधिकारी	

समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत 7 दिवस की अवधि में राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली सेवाऐं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किए जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण **परिशिष्ट–"4"** पर है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के कार्य के अन्तर्गत राज्य में उचित मूल्य दुकानों, गोदामों, थोक विक्रेताओं, के.वी.एस.एस. का डेटाबेस कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के आवंटन उठाव, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के साथ ही राज्य एवं जिला मुख्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य में डिजिटाईज्ड राशनकार्ड्स बनाने का कार्य किया जा रहा है। 01 अप्रेल, 2015 से नवीन/डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड्स में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने एवं

त्रुटि सुधार का कार्य ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा रहा है। नवीन डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने के कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिये समस्त जिला मुख्यालय पर स्थित नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्रों में प्रवर्तन अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.06.2015 तथा प्रवर्तन निरीक्षकों प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 को जारी की गई।

इस क्रम में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीन स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। डिजिटाईज्ड राशनकार्ड्स के आधार पर PoS (Point of Sale) मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। PoS मशीन क्रय करने का कार्य चरणबद्ध रूप से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किया जा रहा है। PoS मशीन से होने वाले वितरण का सम्पूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाईन रहने से किसी भी समय किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन संभव हो सकेगा। प्रथम चरण में 5454 PoS मशीन स्थापित करने हेतु 8 जिलों (अजमेर, सीकर, झुंझनु, धौलपुर, बारां, झालावाड, टोंक एवं बून्दी) का चयन किया गया है। इसके अन्तर्गत दिनांक 09.02.2016 तक 5287 PoS मशीन उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित की जा चुकी है ।

द्वितीय चरण में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवं अलवर जिलों में PoS मशीन से राशन सामग्री वितरण कराने की योजना के अन्तर्गत 9262 के लक्ष्य के विरूद्व दिनांक 09.02.2016 तक 6586 PoS मशीने स्थापित की जा चुकी है। तृतीय चरण में शेष जिले शामिल है। तृतीय चरण में दिनांक 09.02.2016 तक 12379 के विरूद्ध 141 PoS मशीने स्थापित की जा चुकी है।

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावे, इसी दृष्टिकोण के अनुसार भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिन्सों की खरीद (प्रोक्योरमेंट) की जाती है –

रबी फसल– गेहूँ व जौ

खरीफ फसल में मोटे अनाज, यथा, बाजरा, ज्वार व मक्का

(अ) विपणन वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:–

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

		वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
रबी	गेहूँ	1350+150 बोनस (राज्य सरकार)	1400+150 बोनस (राज्य सरकार)	1450
खरीफ (मोटे अनाज)	बाजरा	1250	1250	1275
	मक्का	1310	1310	1325

भारतीय खाद्य निगम, राजफैड एवं तिलम संघ द्वारा राज्य में रबी विपणन वर्ष 2013–14 में 12.68 लाख मै.टन, वर्ष 2014–15 में 21.36 लाख मै.टन गेहूं एवं वर्ष 2015–16 में कुल 13.00 लाख मै.टन गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है एवं राज्य के अलवर जिले में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत वर्ष 2015–16 में 63,866 मै.टन गेहूं की खरीद की गई।

चीनी

राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) को प्रतिमाह 650 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से (माह अप्रेल, 2014 से) उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. के माध्यम से चीनी की खरीद की जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा 18.50 रूपये प्रतिकिलोग्राम अनुदान दिया जा रहा है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति **परिशिष्ट–"5"** पर है।

केरोसीन

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से राज्य को त्रैमासिक केरोसीन का आवंटन प्राप्त होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्धेश्य से वितरित कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। वर्तमान में राज्य में गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जा रहा है। बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को चार लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड केरोसीन वितरण किया जा रहा है। केरोसीन के आवंटन एवं उठाव की सूचना **परिशिष्ट–"6"** पर है।

केरोसीन का डायवर्जन रोकने के लिए केरोसीन के डीलरों को भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाने के लिए आदेश जारी किये हुये है तथा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देशित किया हुआ है कि रूट चार्ट बनाकर जो भी टेंकर तेल कम्पनी से तेल लेकर रवाना होता

है, वह इसकी सूचना जिला कलक्टर को दें और कलक्टर रूट चार्ट के अनुसार संबंधित तहसील/ एस.डी.ओ. को निर्देश देवें कि टेंकर का सत्यापन किया जावे और एस.डी.ओ. कम्प्युटर से ट्रॉसमिशन करेंगे कि कौन–सा टैंकर कब और कहॉ के लिए रवाना हो रहा है?

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान दर से वितरण कराने हेतु विभागीय अधिसूचना क्रमांकःएफ 45(75)खा.ले./नीति/केरोसीन/ 2012–13 दिनांक 24.07.2013 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नीले केरोसीन की अधिकतम विक्रय दर 17.50 रूपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है।

केरोसीन अनुदान राशि बाबत पायलट प्रोजेक्ट योजना

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित केरोसीन की अनुदान राशि का लाभ उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कराये जाने, कालाबाजारी एवं डायवर्जन को रोके जाने के उद्धेश्य से बजट घोषणा 2011–12 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित केरोसीन की अनुदान राशि का उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सीधे ही हस्तानान्तरण करने के बारे में घोषणा की गई है। इस हेतु राज्य के अलवर जिले की कोटकासिम तहसील को पायलट प्रोजेक्ट में चयनित किया गया तथा माह दिसम्बर, 2011 से उक्त योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा इस योजना की अवधि को समय–समय पर बढाया गया।

इस योजना को राज्य के अजमेर, उदयपुर एवं अलवर जिले में एक–एक ग्रामीण एवं शहरी ब्लॉकों का निम्नानुसार चयन कर दिनांक 01 जुलाई, 2013 से पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है :–

क.सं.	नाम जिला	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1	अलवर	नगरपालिका, खेरली	कोटकासिम तहसील
2	अजमेर	नगरपालिका, पुष्कर	अराई पंचायत समिति
3	उदयपुर	नगरपालिका, कानोड	लसाडिया पंचायत समिति

भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में उक्त योजना को लागू किये जाने हेतु 3 अन्य जिलों यथा झुन्झुनू, पाली एवं कोटा का चयन किया जा चुका है। इन जिलों में भी एक ग्रामीण तथा एक शहरी ब्लाक का चयन निम्नानुसार किया जा चुका है :–

क.सं.	नाम जिला	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1	झुन्झुनू	नगरपालिका चिडावा	पंचायत समिति चिडावा
2	पाली	नगरपालिका तख्तगढ	पंचायत समिति देसूरी
3	कोटा	नगरपालिका सांगोद	पंचायत समिति लाडपुरा

इनमें से उदयपुर जिले में नवीन राशनकार्ड नहीं बन पाने के कारण पॉयलेट योजना शुरू नहीं की जा सकी थी, जिसे द्वितीय चरण के साथ ही आरम्भ किया जाना भी विचाराधीन है।

एल.पी.जी.

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यवसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों में दुरूपयोग आदि पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रकरण बनाये गये हैं। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19 किलो में उपलब्ध है। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आई.ओ.सी., एच.पी.सी. एवं बी.पी.सी. तेल कम्पनियां कर रही हैं।

राज्य स्तरीय समन्वयक एवं तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को रसोई गैस की समुचित आपूर्ति करें तथा आवश्यकतानुसार नये गैस कनेक्शन जारी करें। सिलेण्डर पर टोल–फ्री नम्बर अंकित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैसे हॉटप्लेट, प्रेशर कूकर, उपभोक्ताओं को चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस और साबुन इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तथा जुर्मानें से लेकर लाईसेन्स निलम्बित/निरस्त करने तक की कार्यवाही की जाती है।

पहल योजना (MDBTL)

"पहल" योजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बैंक खाते के मार्फत सीधे ही नकद भुगतान किये जाने की संशोधित DBTL योजना राज्य में 1 जनवरी, 2015 से प्रारम्भ की गई है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों का कम्प्युटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं

दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए नयी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 09.02.2015 को दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:–

आवंटन प्रक्रिया

1. उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ

(i) शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डो में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

(ii) आवेदक की "शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए"(विशेष परिस्थितियों में ही राज्य सरकार द्वारा छूट देय होगी)। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह शपथ–पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(iii) आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगें। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते, उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का वचन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वचन–पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो दुकान स्वतः ही निरस्त

हो जायेगी। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ायी जा सकेगी।

(iv) कार्यरत उचित मूल्य दुकानदार को भी अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिशा–निर्देश जारी होने के एक वर्ष के भीतर मापदण्ड पूर्ण नही किये जाने पर प्राधिकार पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(v) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिये। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

2. आवेदन पत्र आमंत्रित करनाः–

(क) उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर; जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर, इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति जारी करायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र केवल मात्र जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी/बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– निर्धारित किया जाता है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी. डी. अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र का क्रमांक अंकित करते हुए आवेदक को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

(ग) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का छायाचित्र लगा होगा।

(घ) समस्त आवेदन पत्रों को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा करने का अधिकार सलाहकार समिति को ही होगा। उचित मूल्य दुकान चयन सलाहकार समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनित आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र/उचित मूल्य दुकान तथा गोदाम के ब्लूप्रिन्ट के नक्शों के अनुसार मौके की जांच रिपोर्ट

संबन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की जाकर आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता एवं उचित मूल्य दुकान के स्थान एवं गोदाम की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी की जायेगी।

(ङ) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक शपथ पत्र दिया जावेगा:—

(1) आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्ड़ित नहीं हुआ है।

(2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।

(3) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य; यथा, माता—पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई उचित मूल्य दुकान नहीं हैं।

(4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(5) आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।

(6) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित हैं, चाल—चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।

(7) आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

(च) प्रस्तावित दुकान का नक्शा प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

(छ) आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/— रूपये का हैसियत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।(जो छः माह से अधिक पुराना ना हो)

(झ) आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

3. आवंटन सलाहकार समिति

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संशोधनोपरान्त निम्नानुसार आवंटन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है:—

(i) <u>नगरीय क्षेत्रों हेतु:—</u>

(क)	जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य	सदस्य
(ग)	उप—निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य

(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप–पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
	(ii) उपभोक्ता	एक	सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

(ii) <u>ग्रामीण क्षेत्रों हेतुः–</u>

(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच		सदस्य
(ग)	उप–निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप–पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
(i)	सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
(ii)	उपभोक्ता	एक	सदस्य
(iii)	महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से इस बाबत शपथ–पत्र प्राप्त किया जाये कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों के साक्षात्कार की सूची में मेरे परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। यदि कोई परिवार का सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो उक्त चयनकर्ता साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्यों को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में तभी आमंत्रित किया जावे, जबकि प्राथमिकता क्रम 3(क) (i) एवं (ii) के आवेदन प्राप्त हुए हों तथा साक्षात्कार के लिए पात्र हो।

4. चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकताः–

आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के

समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगी:–

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा:–

(i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(ii) "महिला स्वयं सहायता समूह; जो, राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो।

(iii) निगमित निकाय

नोट:– आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक का कम्प्युटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेष:– यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात क्रम संख्या (i), (ii) व (iii) के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. निशक्त जन

2. महिलायें

(i) शहीद की विधवा, (वीरांगना)

(ii) विधवा

(iii) परित्यक्ता

कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या समकक्ष सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

3. भूतपूर्व सैनिक।

4. बेरोजगार

(ग) आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार का निर्णय

अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

(घ) किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अहर्ताऐं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।

(ङ) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

5. अन्य प्रावधान

(i) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 25 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को प्राथमिकता से आवटित की जावेगी।

(ii) वर्तमान में कार्यरत सभी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार एक वर्ष की अवधि में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित एक वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कम्प्यूटर दक्ष नही होने पर प्राधिकार पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। प्रशिक्षण अवधि (विशेष परिस्थितियों में ही) एक वर्ष के लिये कलक्टर की अनुशंषा पर राज्य सरकार के स्तर पर बढायी जा सकेगी।

(iii) द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी। यह उम्र की सीमा समस्त व्यक्तिगत उचित मूल्य दुकानदार (पुराने एवं नये) पर लागू होगी।

6. प्राधिकार पत्र जारी करना:–

(i) उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन होने के 07 दिवस की अवधि में सभी संबंधित चयनित आवेदकों को जिला रसद अधिकारी द्वारा उनके उचित मूल्य दुकानदार चयनित होने की सूचना दी जायेगी। संबंधित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निम्न अवधि में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं का संपादन किया जायेगा:–

क सं	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1	प्रतिभूति राशि जमा कराना	चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस
2	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करना	प्रतिभूति राशि जमा कराने की तारीख से अधिकतम 15 दिवस
3	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना	प्राधिकार प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक माह

(ii) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद अधिकतम एक माह का रियायत अवधि काल (Grace period) जिला कलक्टर द्वारा बढाया जा सकेगा। रियायत काल की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्रेषित किये जायेगे।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा जिसके साथ उचित मूल्य दुकानदार का परिचय पत्र भी जारी किया जायेगा।

सतर्कता समितियां

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संशोधनोपरान्त निम्नानुसार सतर्कता समितियों का गठन किया गया है–

(अ) जिला स्तरीय सतर्कता समिति

जिला स्तरीय सतर्कता समिति में निम्न लिखित सदस्य होंगे :–

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3. जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4. जिला प्रमुख	सदस्य
5. जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति	सदस्य
6. जिले की समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष	सदस्य
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8. उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9. जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(ब) तहसील स्तरीय सतर्कता समिति

1. उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. प्रधान पंचायत समिति (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड–अधिकारी होगें एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होगें)	उपाध्यक्ष
3. स्थानीय निकाय के दो सदस्य जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।	सदस्य
4. पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जावेगा।	सदस्य

5. स्थानीय विधायक — सदस्य

6. विकास अधिकारी पंचायत समिति — सदस्य

7. दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा) — सदस्य

8. सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य (मनोनयन द्वारा) — सदस्य

9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक — सदस्य

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 7 एवं 8 के सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(स) उचित मूल्य दुकान सतर्कता समिति

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(1) शहरी क्षेत्र के लिये

1. वार्ड पार्षद — अध्यक्ष

2. सामाजिक कार्यकर्ता (दो) — सदस्य

3. उपभोक्ता (दो) — सदस्य

4. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) — सदस्य

मनोनयन जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिये

1. सरपंच — अध्यक्ष

2. उपभोक्ता (एक) — सदस्य

3. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक — सदस्य

4. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) — सदस्य

5. उपभोक्ता/सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता — सदस्य

6. पंच (एक) — सदस्य

मनोनयन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

विभिन्न स्तर पर गठित की जाने वाली सतर्कता समितियों का कार्य एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार होगी:--

1. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का मुख्य कार्य उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं के लिए आवंटित आवश्यक नियंत्रित वस्तुओं की प्राप्ति एवं वितरण व्यवस्था, दुकान संचालन एवं वितरण पर निगरानी रखना होगा। समिति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य की दुकान पर आवंटित की गई नियंत्रित वस्तुऐं आवंटनानुसार पहुंचती है एवं उनका नियमानुसार सही उपभोक्ता/लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है।

2. तहसील स्तरीय सतर्कता समिति

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति का मुख्य कार्य तहसील क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का आवंटन/वितरण व्यवस्था पर नजर रखना एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के कार्यो की समीक्षा करना होगा।

3. जिला स्तरीय सतर्कता समिति

जिला स्तरीय सतर्कता समिति का मुख्य कार्य जिला स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करना होगा। उक्त समिति की सहमति से नियत तिथि एवं समय पर सदस्य द्वारा दो माह में एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी एवं कार्यवाही विवरण खाद्य आयुक्त को भेजा जायेगा।

जनप्रतिनिधियों को उचित मूल्य दुकान की जॉच करने हेतु अधिकार–

राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2011 जारी करते हुए उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानी हेतु जॉच एवं निरीक्षण के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में समस्त सांसद, विधायक, नगर निगम के महापौर, नगर परिषद के सभापति, नगरपालिका के चेयरमेन, जिला प्रमुख एवं पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के सदस्यगण, जिला परिषद सदस्य, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के पार्षद तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच/वार्ड पंचों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए है:–

- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा निर्देश दिनांक 09.02.2015 को जारी किये गये है।
- प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों के निरीक्षण व भ्रमण को प्रभावी बनाना।
- नियंत्रित वस्तुओं की उचित मूल्य दुकान पर पहुंच सुनिश्चित कराने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के उद्धेश्य से उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनलोडिंग के समय सतर्कता समिति के सदस्यों, पटवारी, ग्रामसेवक, सरकारी कर्मचारी अथवा किसी निगम या सहकारी संस्था के कार्मिक द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।

- ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री का सत्यापन आगामी माह की 5 तारीख तक सरपंच ग्राम पंचायत से कराया जाकर वितरण किया जावेगा। विभाग का यह प्रयास रहेगा कि सम्पूर्ण राशन सामग्री का उठाव 15 तारीख से पूर्व किया जाकर राशन की दुकानों पर पहुंच सुनिश्चित की जावे।

- सम्पूर्ण राज्य में उपभोक्ता पखवाड़ा दिनांक 10.11.2014 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से 24 तारीख तक रखा गया है। उचित मूल्य दुकानें पूरे माह खुली रहेगी तथा राशन सामग्री का वितरण किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एकरूपता की गई है:-

माह	समय
उपभोक्ता पखवाड़ा प्रत्येक माह 10 से 24 तारीख तक	प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (अपरान्ह 01 से 02 तक भोजन अवकाश)
1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक
साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिये जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता पखवाड़े की अवधि में कोई अवकाश नहीं रहेगा।	

उपखण्ड अधिकारियों को खण्ड 8 व 9 के अधीन शक्तियाँ

विभाग द्वारा दिनांक 17.01.2012 को अधिसूचना जारी की जाकर जिला मुख्यालय पर पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी के अलावा अन्य समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 और 9 के अधीन शक्तियाँ प्रदत्त की गई है, जिसके तहत अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निलम्बित एवं निरस्त कर सकेंगे एवं विभागीय प्रकरण दर्ज कर सकेंगे। समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में प्रत्येक माह 15 उचित मूल्य की दुकानों के मासिक निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। विभागीय परिपत्र दिनांक 23.12.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ, केरोसीन एवं चीनी के अतिरिक्त गैर पीडीएस सामग्री पर भी निगरानी रखेंगे।

ग्राम पंचायतों को अधिकार

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त उचित मूल्य दुकानदार अपने संबंधित ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह की 5 तारीख को आयोजित बैठक में गत माह के दौरान उचित मूल्य दुकान में वितरण की गई सभी पीडीएस एवं गैर पीडीएस सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण एवं माह के अन्त में शेष सामग्री की मासिक सूचना सहित आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे एवं ग्राम पंचायत को उपरोक्तानुसार समस्त जानकारी उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था का सत्यापन सरपंच, ग्राम पंचायत से कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हुए हैः–

क्र.सं.	विभाग	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर	1.उपायुक्त (मुख्यालय) एवं शासन उप सचिव 2.उपायुक्त (प्रथम) एवं शासन उप सचिव 3.वित्तीय सलाहकार 4.उप विधि परामर्शी 5.सहायक निदेशक(सांख्यिकी) 6.जिला रसद अधिकारी(प्रोक्योरमेन्ट) 7.जिला रसद अधिकारी(सतर्कता) 8.सहायक आयुक्त (खाद्य)- नोडल अधिकारी	प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)
2.	जिला स्तर पर	जिला रसद अधिकारी	जिला कलक्टर (रसद)

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 4 तथा जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत है। उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं।

1. विधिक माप–विज्ञान का कार्य उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा के कम में विधिक माप विज्ञान को उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन किये जाने संबंधित अधिसूचना भी दिनांक 24.07.2015 को जारी कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने तक उक्त कार्य उद्योग विभाग द्वारा ही भौतिक रूप से सम्पादित किया जा रहा है।

2. उपभोक्ता भवन हेतु भूमि का आवंटन

उपभोक्ताओं की समस्या एक छत के नीचे सुनी जाकर निराकरण करने के लिये उपभोक्ता भवन निर्माण हेतु राज्य मुख्यालय पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के क्रम में बंगला नं0 01–बी हसनपुरा जयपुर की सम्पूर्ण भूमि एवं बंगला नं0 01–ए के पीछे खाली पड़ी लगभग 600 वर्गमीटर भूमि का आवंटन कर दिया गया है।

3. उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किया जाना

राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित 1000 उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किये जाने की कार्य–योजना दिनांक 12.03.2014 को विभाग के स्तर पर जारी कर दी गई है। इस क्रम में राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष की बैठक दिनांक 04.08.2014 में सक्रिय उपभोक्ता क्लबों को राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष से आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। अब उपभोक्ता क्लब योजना पूर्णतः राज्य सरकार की वित्तपोषित योजना है। क्लब की गतिविधियों से उपभोक्ता आन्दोलन को एक नई दिशा मिली है।

4. राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा 27.00 लाख रूपये का योगदान दिया गया तथा इतनी ही राशि (27.00 लाख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। कोष के संचालन हेतु राज्य में पृथक से राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष नियम बनाये गये है। कोष की बैठक नियमित रूप से की जा रही हैं।

5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन

राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पुर्नगठन किये जाने की अधिसूचना दिनांक 04.01.2014 को जारी की जा चुकी है। राज्य परिषद के पुनर्गठन के पश्चात पहली बैठक दिनांक 06.08.2014 को आयोजित की जाकर उपभोक्ता के हितों में व्यापक निर्णय लिये गये है।

6. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचो का सुदृढ़ीकरण

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों के सुदृढीकरण के लिये 16.66 करोड रूपये के प्रस्ताव 12वें प्लान के अन्तर्गत दिनांक 13.11.2014 को भारत सरकार को भेजे गये हैं। उक्त राशि से आयोग एवं जिला मंच भूमि–भवन, साधन–संसाधन की दृष्टि से आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ होंगे, जो उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान किये जाने में सहायक होंगे। भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 3.71 करोड राज्य को प्राप्त हो चुके है।

7. उपभोक्ता सलाहकार समिति का गठन

उपभोक्ता मामले विभाग के लिये दिनांक 09.10.2014 को उपभोक्ता सलाहकार समिति का गठन किया गया। यह समिति वर्तमान समस्त योजनाओं की प्रासंगिकता का परीक्षण करेंगी एवं योजनाओं में परिवर्तन, परिवर्द्धन के संबंध में सुझाव देंगी। इसके साथ ही यह समिति सामूहिक उपभोक्ता हितों को चिन्हित करेंगी तथा उपभोक्ताओं से संबंधित विषय राज्य सरकार के ध्यानार्थ प्रस्तुत करेगी।

8. उपभोक्ता जागृति सप्ताह का आयोजन

राज्य में उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने की दृष्टि से उपभोक्ता जागृति सप्ताह के आयोजन हेतु भारत सरकार से 10.00 लाख रूपये का विशेष अनुदान प्राप्त हुआ था। इस क्रम में राज्य के 40 जिला रसद अधिकारी कार्यालयों को 25–25 हजार रूपये उपलब्ध कराये जाकर उपभोक्ता क्लब सम्मेलन, उपभोक्ता चौपाल, लेखन–गायन प्रतियोगिता, निबंध, नारे व स्लोगन प्रतियोगिता जैसी महत्त्वपूर्ण गतिविधिया दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 से 24 दिसम्बर, 2015 तक आयोजित की गई।

9. उपभोक्ता हैल्पलाइन

राज्य में केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार 15 मार्च, 2011 को "विश्व उपभोक्ता दिवस" के अवसर पर उपभोक्ता हैल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता हैल्पलाइन का संचालन राज्य की स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था कंज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी "केन्स' जयपुर द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। हैल्पलाइन का टोल फ्री नम्बर 18001806030 हैं राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन को ऑनलाइन किया गया है, जो www.consumeradvice.in पर उपलब्ध है। माह दिसम्बर, 2015 तक 27096 उपभोक्ताओं ने हैल्पलाइन पर सलाह प्राप्त की है

10. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन

दिनांक 24 दिसम्बर, 2015 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राज्य स्तर पर सभी जिलों में मनाया गया। इसमें जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक एवं महिला संगोष्ठी आयोजित की गयी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय लोकगीत एवं कविता प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, कठपुतली/नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित किया गया।

वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की वास्तविक आय एवं व्यय तथा वर्ष 2014–15 के मूल बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तथा 2015–16 के मूल बजट अनुमान का विवरण **परिशिष्ट–"7"** पर संलग्न है।

कुल आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

आय एवं व्यय का प्रकार	वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2013–14	वास्तविक कुल आय एवं व्यय 2014–15	मूल बजट अनुमान 2014–15	संशोधित बजट अनुमान 2014–15	बजट अनुमान 2015–16
विभागीय कार्यालय संचालन संबंधी विविध व्यय (आयोजना भिन्न मद)	3795.79	4061.20	4202.59	4288.58	4672.64
आयोजना भिन्न मद की योजनाओं के व्यय	26921.13	24.29	151.06	50.56	50.56
आयोजना मद की योजनाओं के व्यय	57342.95	79309.28	75315.11	81505.22	37741.66
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के व्यय	13.44	518.51	522.79	1416.92	4449.80
विभाग की विविध आय	4382.87	6279.73	2331.03	5557.81	3251.41

विभाग की प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट–"8"** पर अंकित है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार, कम्पनी मामलें, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात निदेशकों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग	निदेशक
6.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	निदेशक
7.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक

4. निगम के विगत चार वर्षो के वित्तीय परिणाम

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15 (अनन्तिम)
1.	Profit before interest & Depreciation	1419.64	1369.96	944.25	1185.25
2.	Less: interest	Nil	Nil	Nil	688.15
3.	Operational Profit/Loss	1419.64	1369.96	944.25	497.10
4.	Less: Depreciation	2.90	49.41	40.71	60.87
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	1416.74	1320.55	903.54	670.51
6.	Profit/Loss for appropriation	925.72	861.29	504.63	436.23

5. निगम के कार्य एवं उद्देश्य

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वांशिग सोप, पिसे हुए मसालें

आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। निगम मुख्यालय हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तयों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	59	21	38	62
2.	जिला कार्यालय	272	216	56	–
3	तहसील स्तर	488	70	418	–

7. निगम का थोक व्यापार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया है। निगम का तहसील स्तर पर कोई कार्यालय नही होने के कारण जिलों में तहसील स्तर पर पूर्व से ही कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय सहकारी विकास संघ लि0 के द्वारा निगम के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न उठाव एवं आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है परन्तु कोटा, बांरा एवं दौसा (सम्पूर्ण जिला) व धौलपुर जिलें की पॉच एवं बूंदी जिले की दो तहसीलों में पूर्व से कार्यरत थोक विक्रेता (सहकारी संस्थाओं) द्वारा कार्य नही करने के कारण निगम के प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति के माध्यम से पीडीएस खाद्यान्न की एफपीएस पर आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा निगम को राज्य स्तरीय थोक विक्रेता नियुक्त कर नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

8.1 गेहूँ की आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् खाद्य विभाग के द्वारा आवंटित खाद्यान्न/चीनी का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये जाने हेतु राजस्थान

राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० को सम्पूर्ण राज्य के लिए नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। वर्तमान में चीनी का उठाव एवं आपूर्ति निगम के द्वारा प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों में की जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत खाद्यान्न उठाव का कार्य माह अक्टूबर 2013 से प्रारम्भ हुआ है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० का सम्पूर्ण राज्य में आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बनाये रखने के लिए खाद्य विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त प्रदेश की अन्य सभी जिलों की एक–एक तहसील से थोक–विक्रेता का कार्य के.वी.एस.एस. से हटाया जाकर निगम के माध्यम से किये जाने हेतु पायलट योजना के रूप में करने का निर्णय लिया गया है।

8.2 चीनी आपूर्ति

1. पीडीएस के तहत 1 अप्रैल, 2012 से पूर्व चीनी की आपूर्ति राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के माध्यम से लेवी चीनी के रूप में की जाती थी। इसके अन्तर्गत चीनी का आवंटन सीधे भारत सरकार द्वारा खाद्य विभाग, राज्य सरकार को किया जाता था तथा राज्य सरकार राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर को करती थी। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर भारत सरकार द्वारा आवंटित चीनी मिलो को राशि जमा करवाकर संबन्धित समिति/भण्डार को चीनी उपलब्ध करवाता था। समिति/भण्डार द्वारा उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने हेतु चीनी आपूर्ति की जाती थी।
2. 01अप्रैल, 2012 से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा की जा रही लेवी चीनी आपूर्ति की व्यवस्था राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को हस्तान्तरित कर दी गई जो 31.05.2013 तक जारी रही।
3. केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से चीनी को लेवी से नियंत्रण मुक्त किया गया है। राज्यों को पारदर्शिता के साथ खुले बाजार से चीनी क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये गये है। राज्य को प्रतिमाह 7342.00 मै. टन एवं वर्ष में एक बार त्यौहारी कोटा का 5092 मै. टन अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल वार्षिक आवंटन 93196 मै. टन प्राप्त होता है।
4. नई व्यवस्था के तहत चीनी के आवंटन एवं उठाव का विवरणः– जून 2013 से नवम्बर 2015 तक कुल 235536 मै. टन चीनी के आवंटन के विरूद्ध सम्पूर्ण चीनी 235536 मै. टन चीनी का उठाव निगम द्वारा किया गया है।
5. हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिले के लिए माह अक्टुबर, 2014 से चीनी की आपूर्ति राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लि., श्रीगंगानगर से अनुमोदित न्यूनतम निविदादाता की दरों पर ही की जाती है।

6. चीनी का वितरण 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को किया जा रहा है। इसकी आपूर्ति पर निम्नानुसार मार्जिन राशि देय है :–

क्र.सं.	संस्था	विवरण	राशि (प्रति क्विं.) रू.
1	आपूर्ति निगम	कमीशन	17.80
2	क्रय विक्रय सहकारी समिति	कमीशन	11.00
3	उचित मूल्य दुकानदार	कमीशन व परिवहन	19.49 (11.99+7.50)

7. चीनी वितरण योजना अन्तर्गत 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से भारत सरकर द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। पात्र उपभोक्ताओं को चीनी 13.50 रु. प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाती है।

9. गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का विपणन कार्य

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु नॉन पीडीएस सामग्री के अन्तर्गत विभिन्न सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में कार्यवाही की गई। राज्य में गैर पी.डी.एस. वस्तुओं की उपभोक्ताओं को उचित दरों तथा उच्च गुणवत्ता में निर्बाध आपूर्ति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा गैर पीडीएस वस्तुओं के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से प्रथम चरण में आयोडीनयुक्त नमक, चाय एवं साबुन को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु आवश्यक निविदायें जारी की गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर चाय एवं आयोडाईज वाश नमक आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मों को आपूर्ति हेतु निम्न दरों पर कार्यादेश दिनांक 27.01.2015 को दिए गए :–

क्र.सं.	सामग्री का नाम	दर (रूपये प्रति किलो ग्राम)
1.	नमक	7.00
2.	चाय	160 (रूपये 40/– प्रति 250 ग्राम पैकिट)
3.	लाल मिर्च पाउडर	145 (रूपये 29/– प्रति 200 ग्राम पैकिट)
4.	हल्दी पाउडर	135 (रूपये 27/– प्रति 200 ग्राम पैकिट)
5.	धनियॉ पाउडर	150 (रूपये 30/– प्रति 200 ग्राम पैकिट)

उपरोक्त सामग्री की मार्च 2015 से दिसम्बर 2015 तक की माहवार आपूर्ति निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	सामग्री	माहवार आपूर्ति मै. टन										
		मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टुबर	नवम्बर	दिसम्बर	योग
1.	चाय	151.375	206.75	208.425	119.150	132.775	125.875	71.225	82.875	100.475	159.765	1207.315
2.	मसाले	97.980	99.510	121.330	96.302	97.730	91.955	85.580	103.456	91.010	100.454	980.307
3.	नमक	0	114.1	314.1	97.5	18.6	67.2	568.0	405.00	395.00	478.00	2457.00

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई.पी.ए. की राशि निम्नानुसार जमा करवाई गई :—

क्र. सं.	सामग्री	माहवार ई.पी.ए. की राशि रूपये में										
		मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	योग
1.	चाय	329008	2617763	2617763	2617763	2617763	2078506	842244	842244	329008	842244	15918534
2.	मसालें	0	569172	593016	569172	356053	356053	356053	356053	223474	153830	4106290
3.	नमक	0	178958	165413	184763	189260	0	306720	218700	213300	258120	1715234
महायोग												21740058

10. अन्नपूर्णा भण्डार योजना

जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुऐं प्रतिस्पर्धी दरों पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अन्नपूर्णा भण्डार योजना लागू की गई है।

योजना के मुख्य बिन्दु

- अन्नपूर्णा भण्डार योजना देश में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक अनूठी योजना है।
- इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्राप्त होगी।
- यह देश का एक बहुत बडा उद्यमशीलता अभियान है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य भर में पाँच हजार उचित मूल्य की दुकानो के डीलर्स उद्यमियों के रूप में कार्य करेंगे।
- बेचे जाने वाले सामान पर उचित मूल्य के दुकानदार को 40 प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा तथा शेष 60 प्रतिशत लाभ उपभोक्ताओं को दरों में छूट के रूप में प्राप्त होगा।
- उचित मूल्य दुकानदार द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म को 10 दिन के अन्दर भुगतान करना होगा। नगद भुगतान पर उचित मूल्य दुकानदार को 02 प्रतिशत तक "नगद भुगतान छूट" प्राप्त होगी।
- इस नवाचार के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली व आधुनिक खुदरा व्यापार प्रणाली का दोहरा लाभ प्राप्त होगा।

कार्य—योजना :

- योजना के अन्तर्गत मै0. फ्यूचर कन्ज्यूमर एन्टरप्राइज लि0, मुंबई अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में चयनित हुए है।
- राज्य में माह सितम्बर, 2015 से योजना का कियान्वयन शुरू हो चुका है।
- योजना का क्रियान्वयन राज्य में प्रत्येक संभाग (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर) पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

- जयपुर, जोधपुर व उदयपुर संभाग में प्रत्येक में 1000 उचित मूल्य की दुकानें अन्नपूर्णा भण्डार के रूप में चयनित है तथा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर व कोटा संभाग में प्रत्येक में 500 उचित मूल्य की दुकानें चयनित हैं।
- योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु चयनित उचित मूल्य के दुकानदारों को मै0. फ्यूचर कन्ज्यूमर एन्टरप्राइज लि0 द्वारा का आधुनिक खुदरा व्यापार प्रबन्धन में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

योजना के लाभ

- योजना के अन्तर्गत जनसाधारण को उच्च गुणवत्तायुक्त मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएँ उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध होंगी।
- इसके अन्तार्गत उपभोक्ताओं को 45 तरह के लगभग 150 से अधिक प्रकार के उत्पाद जिनमें मुख्य रुप से खाद्य तेल, घी, दालें, अचार, गुड़, बिस्किट, मसाले, सौन्दर्य प्रसाधन, साबुन, डिटर्जेन्ट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, पेन, नोट बुक, बल्ब, माचिस, चप्पल, फिनायल, टॉयलेट क्लीनर्स इत्यादि की आपूर्ति की जाएगी।
- इन उत्पादो की एम.आर.पी. पर उचित मूल्य के दुकानदारों को न्यूनतम 2 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अधिकतम छूट प्राप्त होगी।
- इस योजना के तहत आधुनिक व्यापार पद्धतियों द्वारा उचित मूल्य के दुकानदारों की क्षमता एवं संभावनाओं का विकास किया जाएगा।
- अन्नपूर्णा भण्डार राज्य में "रूरल मॉल्स" के रूप में कार्य करेंगे।
- भविष्य में अन्नपूर्णा भण्डारो पर उचित मूल्य की दुकानों के साथ साथ मिनी बैंक, खाद--बीज भण्डार इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

अन्नपूर्णा भण्डार पर उपलब्ध वस्तुएँ

खाद्य तेल	हेयर ऑयल	टूथब्रश
घी	शैम्पू	रेजर
अनाज	टूथपेस्ट	पेन
दालें	रवा, मैदा, बेसन	चप्पल
ड्राई फ्रूट्स	साबूदाना	फिनायल
नूडल्स	भुजिया	टॉयलेट क्लीनर्स
बिस्किट	मसाले	अगरबत्ती
केन्डीज	गुड़	माचिस
वेफर्स	बूरा	वेक्स पॉलिश
कॉफी	मिश्री	चाकू
सौंदर्य प्रसाधन सामग्री	सॉस	नोट बुक
साबुन	अचार	कंघा
डिटरजेन्ट बार	शहद	मोमबत्ती
डिटरजेन्ट पाउडर	पापड़	बल्ब
टेल्कम पाउडर	पोहा, चिउड़ा	मोस्किटो रिपैलेन्ट्स

योजना क्रियान्वयन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर अब तक की प्रगति निम्नानुसार है:–

- माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार के कर कमलों के द्वारा दिनांक 31.10.2015 को जयपुर जिले के ग्राम भम्भौरी, कालवाड़ रोड़ जयपुर पर अन्नपूर्णा भण्डार का शुभारम्भ किया जा चुका है।
- योजना का राज्य में पूर्ण रूप से प्रचार–प्रसार हो तथा आमजन को योजना के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके, इस हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए "अन्नपूर्णा भण्डार योजना" की जानकारी प्रदर्शित करने वाला ब्रोशर छपवाया गया है जिसका माननीया मुख्यमंत्री महोदया के कर कमलों से विमोचन किया जा चुका है।
- वर्तमान में 203 अन्नपूर्णा भण्डार संचालित हो चुके है।
- राज्य में दिनांक 06.01.2016 तक 762 दुकानों पर कलर पेंट एवं फर्नीचर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वर्तमान में **सितम्बर, 2015** से **मार्च 2016** तक **प्रथम चरण** में निम्नानुसार योजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित किया है।

क्र.सं.	संभाग का नाम	जिला का नाम	दुकानों की संख्या
1	जयपुर	1. जयपुर	118
		2. सीकर	206
		3. झुन्झुनू	125
		4. दौसा	186
		5. अलवर	325
2	अजमेर	1. नागौर	125
		2. टोंक	61
3	कोटा	1. बांरा	89
		2. झालावाड	125
		3. कोटा	112
4	बीकानेर	1. चुरू	132
5	उदयपुर	1. उदयपुर	227
		2. चित्तौडगढ	225
		3. राजसमंद	122
6	भरतपुर	1. भरतपुर	186
कुल		15	2364

- शेष जिलों में अन्नपूर्णा भण्डार योजना हेतु आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा शीघ्र कार्ययोजना बनाई जाकर जून 2016 तक सम्पूर्ण राजस्थान में क्रियान्विति की जायेगी।

क्र.सं.	संभाग का नाम	जिला का नाम	दुकानों की संख्या
1	अजमेर	1. अजमेर	151
		2. भीलवाड़ा	124
2	जोधपुर	1. जोधपुर	337
		2. सिरोही	90
		3. पाली	170
		4. जालौर	140
		5. जैसलमेर	70
		6. बाड़मेर	230
3.	भरतपुर	1. करौली	108
		2. धौलपुर	101
		3. सवाई माधोपुर	204
4	बीकानेर	1. श्री गंगानगर	142
		2. हनुमानगढ	113
		3. बीकानेर	301
5	उदयपुर	1. प्रतापगढ	58
		2. डूंगरपुर	94
		3. बांसवाड़ा	120
6	कोटा	1. बूंदी	113
	कुल	18	2666

11. विकेन्द्रीकृत खरीद योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिले में रबी विपणन वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 में गेहूँ खरीद :–

राज्य में किसानों को खाद्यान्न उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में खरीद किये जा रहे गेहूँ की भाँति रबी विपणन वर्ष 2013–14 से प्रायोगिक तौर पर पॉयलेट परियोजनान्तर्गत अलवर जिलें में गेहूँ खरीद का कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य सम्पन्न MOU के तहत राज्य सरकार ने

निगम को नोडल एजेन्सी, राजफैड को निगम के मार्फत गेहूँ खरीद करने हेतु "खरीद एजेन्सी" तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को "भण्डार एजेन्सी" का दायित्व सौंपा गया। जिलें में गेहूँ खरीद हेतु निम्नलिखित क्रय केन्द्र स्थापित किये गये :—

(मैट्रिक टन में)

क्र. स.	वर्ष	जिलें में स्थापित कय केन्द्रों की संख्या	गेहूँ खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्य	वास्तव में खरीद किये गये गेहूँ की मात्रा
1	2013—14	35	1.50 लाख	54,936.90
2	2014—15	37	0.80 लाख	88989.00
3	2015—16	32	0.60 लाख	63836.80

11.1 किसानों का पंजीयन :—

अलवर जिलें में किसानों को उसकी उपज का ऑन—लाईन भुगतान करने हेतु गेहूँ खरीद का प्रोजेक्ट तैयार करने में निगम द्वारा एनआईसी का सहयोग लिया गया। इस बाबत NIC को निगम द्वारा रबी विपणन वर्ष 2013—14 में 22.44 लाख रूपये तथा 2014—15 में रूपये 24.00 लाख का भुगतान किया गया। व्यापक प्रचार—प्रसार ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया गया।

11.2 वित्तीय सहायता :—

राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप बोनस राशि रूपये 150/— प्रति क्विं. की दर से वर्ष 2013—14 एवं 2014—15 में घोषित किया गया।

11.3 भण्डारण व्यवस्था :—

रबी विपणन वर्ष 2013—14 में भण्डारण हेतु "राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम" (भण्डारण एजेन्सी) से निगम द्वारा अलवर एवं अलवर जिले के आसपास जिलों में 1,11,200 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों को एक वर्षीय आरक्षण पद्धति के तहत दिनांक 01.04.2013 से 31.03.14 की अवधि के लिए भारत सरकार अथवा राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की दर/शर्तों (इनमें से जो भी कम हो) पर आरक्षित कराया गया। वर्तमान में भारत सरकार की एक वर्षीय गोदाम आरक्षण दर, रूपये 3.38 प्रति 50 किलोग्राम (6.76 प्रति क्विं.) प्रतिमाह है, जो दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी है। वर्ष 2014—15 में राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से वास्तविक उपयोगिता (AUB) के आधार पर अलवर एवं उसके समीपस्थ जिलों में 75,430.00 मैं. टन तथा केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम के 5550.000

मैट्रिक टन क्षमता के सरकारी/निजी क्षेत्र के गोदामों को आरक्षित कराया गया। वर्तमान में वास्तविक उपयोगिता (AUB) के आधार पर आरक्षित गोदामों को किराया राशि रूपये 5.15 प्रति 50 किलोग्राम प्रतिमाह (रूपये 10.30 प्रति क्विं. प्रतिमाह) हैं। निगम द्वारा आरक्षित कराये गये गोदामों एवं उनमें संग्रहित खाद्यान्न (गेहूँ) का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित किया जा रहा है :—

(मैट्रिक टन में)

वर्ष	आरक्षित गोदामों का स्थान	गोदामों की क्षमता	खरीद किये गये गेहूँ की मात्रा	संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा	रिक्त भण्डारण क्षमता	क्षमता से अधिक संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा
2013—14	अलवर, भरतपुर, बयाना, नदबई, बान्दीकुई, लालसोट, एमएम रोड, हिण्डौन सिटी तथा खैरथल	1,11,200.000	54,936.900	54,926.939	56,273.061	—
2014—15	अलवर, बान्दीकुई, हिण्डौन, एमएम रोड खैरथल, नदबई, तथा भरतपुर	80,980.000	88,989.000	88,497.820	-	7517.82
2015—16		65,700.000	63836.800	63,836.800	1863.200	—

11.4 विकेन्द्रीकृत खरीद योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिले में खरीदे गए गेहूँ का क्रय/विक्रय से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

Year	Wheat Procured (In Qntl.)	Storage gain (In Qntl.)	Total (In Qntl.)	Wheat Sold (In Qntl)	Rate of Sale (per Qntl)	Amount Receive (in Rs)	Remark
2013&14	549369.00	3490.00	552859.00	552859.00	Rs. 200/-	110571638/-	
2014&15	889890.00	1677.14	889890.00	853839.15	Rs. 200/-	170767830/-	-
2015&16	638368.00	674.78	639042.78	637053.32	Rs. 200/-	127410664/-	माह 12/15 तक उठाव

11.5 निगम ने रबी विपणन वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद के क्लेम भारत सरकार को प्रेषित किए है, जिनके क्रम में प्राप्त राशि एवं बकाया दावों का विवरण निम्नानुसार है:—

Year	Claims sent to GOI	Period	Wheat (In MTS)	Amount of claim (in Crors)	Amount received From GOI (in Crors)	Amount yet to be received from GOI (in Crors)	Remarks
2013&14	III rd Quarter to ivth Quarter	Octber 2013 to Feb 2014	55285.900	88.73	77.63	11.10	Final Claim sent to GOI
2014&15	II nd Quarter to ivth Quarter (Provisional)	July 2014 to March, 2015	88665.520	135.65	135.31	0.34	-
	Final bill	July 14 to march 15	88665.534	3.82 Approx	-	3.82	Bill yet to be submitted for finalization of Balance sheet 2014-15.
2015&16	IIIrd Quarter	Oct 15 to Dec. 15	63705.332	100.44	NIL	100.44	Provisional bill is submitted.

11.6 वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा अनुसार निगम द्वारा गेहूँ खरीद हेतु प्राप्त एवं व्यय की गई बोनस राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

Year	Amount received from state Government			Amount spent/returned/yet to be returned to State Government	
	Head	Amount (in Crors)	Amount (in Crors)	Amount returned (in Crors)	Amount yet to be returned
2013&14	Bonus	299.80	190.25	109.55	NiL
2014&15	Bonus	323.83	323.11	0.72	NiL
2015&16	Bonus	NIL	NIL	NIL	NiL

12. बजट घोषणा – वर्ष 2015–16

कुपोषण की प्रभावी रोकथाम के लिए **micro nutrient** यथा **Na (Sodium) Fe (Iron) EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetate Trihydrate), Folic Acid** व विटामिन बी 12 से **fortified** आटा, विटामिन ए व डी से **fortified** खाद्य तेल एवं आईरन तथा आयोडिन युक्त **double fortified** नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जायेगा।

1. आयरन तथा आयोडीनयुक्त डबल फोर्टीफाइड नमक की आपूर्ति:

वर्तमान में डबल फोर्टीफाइड नमक का राजस्थान में व्यापक स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा रहा है। मै. साम्भर साल्ट लि. द्वारा हाल ही में डबल फोर्टीफाइड नमक का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। निगम द्वारा सभी सम्बन्धित संगठनों, नमक उत्पादकों,

एनजीओं आदि के साथ मीटिंग आयोजित कर तथा निविदा प्रपत्र को सांझा कर निविदा सूचना जारी की गई। राजस्थान के नमक उत्पादकों को डबल फोर्टीफाइड नमक से सम्बन्धित आवश्यक तकनीकी जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 18.06.2015 को एक कार्यशाला आयोजित की गई। डबल फोर्टिफाइड नमक आपूर्ति हेतु सफल निविदादाताओं को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिनांक 21.01.2016 को जारी किये गये है।

2. **विटामिन ए तथा डी युक्त फोर्टीफाइड खाद्य तेलों की आपूर्ति :**

विटामिन ए तथा डी युक्त फोर्टीफाइड खाद्य तेल की प्रोसेसिंग में मात्र 8–10 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त व्यय होता है। वर्तमान में प्रोमिनेन्ट उत्पादकों – कारगिल, अडाणी विलमार, रूचि सोया आदि द्वारा खुले बाजार में उनके ब्रान्ड में फोर्टीफाइड तेल का उत्पादन एवं विक्रय किया जा रहा है। अन्तराष्ट्रीय संस्था गेन (Global Alliance for Improved Nutrition) के सहयोग द्वारा कोटा–बून्दी जिलों में फोर्टीफाइड तेल के उत्पादन हेतु 30.09.2015 तक आवश्यक तकनीकी सहयोग आदि प्रदान किया गया।

3. **आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन डी युक्त फोर्टीफाइड आटे की आपूर्तिः**

फोर्टीफाइड आटे के उत्पादन एवं वितरण की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने हेतु दिनांक 12.03.2015 तथा 03.09.2015 को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 09.10.2015 की मीटिंग में प्रगति की समीक्षा की गई। मीटिंग में खाद्य सुरक्षा के तहत लाभान्वित परिवारों को 10 किलो की दर से आपूर्ति करने, गेंहू की पिसाई एवं फोर्टीफिकेशन आदि के अतिरिक्त संभावित व्यय भार रू. 2.50 प्रति किलो को केन्द्र सरकार के दिनांक 03.11.2014 के परिपत्र के अनुसार लाभार्थियों द्वारा वहन करने, निर्धारित क्षमता की आटा मिलों का चयन, क्षेत्र/जिलों का चयन, गुणवत्ता आदि विषयों पर चर्चा की गई।

दिसम्बर 2015 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति						
		शहरी		ग्रामीण		कुल		
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	23	478	119	526	**142**	**1003**	**1145**
2	अलवर	19	152	83	843	**102**	**995**	**1097**
3	बांसवाडा	2	48	76	523	**78**	**571**	**649**
4	बांरा	10	66	21	459	**31**	**525**	**556**
5	बाडमेर	2	105	206	739	**208**	**844**	**1052**
6	भरतपुर	9	197	50	640	**59**	**837**	**896**
7	भीलवाडा	29	112	306	403	**335**	**515**	**850**
8	बीकानेर	24	279	65	456	**88**	**735**	**823**
9	बून्दी	3	90	38	270	**41**	**360**	**401**
10	चित्तौडगढ	12	95	92	465	**104**	**560**	**664**
11	चूरू	9	219	122	595	**131**	**814**	**945**
12	दौसा	2	65	86	585	**88**	**650**	**738**
13	धौलपुर	18	45	40	339	**58**	**384**	**442**
14	डूंगरपुर	8	52	109	365	**117**	**437**	**554**
15	गंगानगर	46	194	99	362	**145**	**556**	**701**
16	हनुमानगढ	33	174	37	432	**70**	**606**	**676**
17	जयपुर	15	745	123	927	**138**	**1672**	**1810**
18	जैसलमेर	8	24	29	264	**37**	**288**	**325**
19	जालौर	6	54	132	428	**138**	**482**	**620**
20	झालावाड	5	88	51	458	**56**	**546**	**602**
21	झुन्झुनू	5	153	67	559	**72**	**712**	**784**
22	जोधपुर	285	361	48	658	**333**	**1019**	**1352**
23	करोली	6	73	84	418	**90**	**491**	**581**
24	कोटा	34	296	64	254	**98**	**550**	**648**
25	नागौर	6	204	88	939	**94**	**1143**	**1237**
26	पाली	7	155	188	433	**195**	**588**	**783**
27	प्रतापगढ़	1	19	54	273	**55**	**292**	**347**
28	राजसमन्द	7	46	64	384	**71**	**430**	**501**
29	सीकर	2	237	75	586	**77**	**823**	**900**
30	सिरोही	5	67	62	288	**67**	**355**	**422**
31	सवाई माधोपुर	2	95	24	451	**26**	**546**	**572**
32	टोंक	1	109	60	388	**61**	**497**	**558**
33	उदयपुर	34	146	175	780	**209**	**926**	**1135**
	योग	**678**	**5243**	**2936**	**16509**	**3614**	**21752**	**25366**

परिशिष्ट–(2)

राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का गत वर्षों का आवंटन व उठाव

1. गेहूँ एपीएल

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	772320	762178	98.69
2	2011–12	772320	733834	95.02
3	2012–13	772320	752748	97.47
4	2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13)	386160	375503	97.24

2. गेहूँ बीपीएल

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	629532	627423	99.66
2	2011–12	629532	606949	96.41
3	2012–13	629532	621164	98.67
4	2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13)	314766	313893	99.72

3. गेहूँ अन्त्योदय अन्न योजना

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	391488	383770	98.03
2	2011–12	391488	385041	98.35
3	2012–13	391488	383200	97.88
4	2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13)	195744	192469	98.33

4. गेहूँ अन्नपूर्णा योजना

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2010–11	12635	11895	94.14
2	2011–12	10793	9475	87.78
3	2012–13	11818	9440	79.88
4	2013–14 (अप्रेल,13 से सितम्बर,13	63175.80	20163.78	31.92

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन–उठाव की सूचना

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	माह	पात्र परिवार अन्त्योदय सहित		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अक्टूबर,13 से मार्च, 2014	1347905.00	1323859.00	98.21
2	2014–2015	2789423.00	2767955.00	99.23

अप्रेल, 2015 से दिसम्बर, 2015

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	माह	पात्र परिवार अन्त्योदय सहित		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2015	232631.00	232631.00	100.00
2	मई, 2015	232558.00	232058.00	99.78
3	जून, 2015	232631.00	226364.00	97.31
4	जुलाई, 2015	232631.00	231091.00	99.34
5	अगस्त, 2015	230888.00	229553.00	99.42
6	सितम्बर, 2015	226709.00	224915.00	99.21
7	अक्टूबर, 2015	225244.00	224645.00	99.73
8	नवम्बर, 2015	225625.00	223156.00	98.91
9	दिसम्बर, 2015	226434.00	224166.00	99.00
	योग	2065350.00	2076861.00	99.19

परिशिष्ट–(3)

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों का जिलेवार विवरण

(स्थिति दिसम्बर, 2015)

क्र.सं.	नाम जिला	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की यूनिटस् (अन्त्योदय सहित)		
		शहरी	ग्रामीण	योग
1	अजमेर	1067873	423399	1491272
2	अलवर	2128485	255492	2383977
3	बांसवाडा	1349570	59342	1408912
4	बारां	804857	113423	918280
5	बाडमेर	1687788	68031	1755819
6	भरतपुर	1341783	295732	1637515
7	भीलवाडा	1296397	190945	1487342
8	बीकानेर	1119872	333851	1453723
9	बूंदी	612359	120713	733072
10	चित्तौडगढ	869894	151633	1021527
11	चूरू	1018655	280320	1298975
12	दौसा	992689	51872	1044561
13	धौलपुर	678547	112885	791432
14	डूँगरपुर	1079503	45347	1124850
15	श्रीगंगानगर	907073	290791	1197864
16	हनुमानगढ	985828	188478	1174306
17	जयपुर	2357968	341106	2729074
18	जैसलमेर	372045	46394	148439
19	जालौर	1152720	71267	1223987
20	झालावाड	935062	99755	1034817
21	झूँझनूँ	615452	172161	787613
22	जोधपुर	1727935	372391	2100326
23	करौली	866018	126981	992999
24	कोटा	538519	610359	1148878
25	नागौर	1909298	200689	2109987
26	पाली	1187621	176959	1364580
27	प्रतापगढ	636934	30752	667686
28	राजसमन्द	707533	69291	776824
29	सीकर	1418267	318879	1737156
30	सिरोही	673383	88972	762355
31	सवाईमाधोपुर	719341	128708	848049
32	टोंक	830393	120733	951126
33	उदयपुर	1936314	178642	2114956
	योग	36555976	6136303	42692279

परिशिष्ट–(4)

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी का अधिनियम के क्षेत्राधिकार में ली जाने वाली सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किये जाने वाले पदाभिहित अधिकारी / सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम -- खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।

क्र. सं.	विभाग की गतिविधियां / सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है।	सेवा प्रदान करने की समयावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
	नये राशनकार्ड बनाने हेतु						
1.	जिला मुख्यालय का नगरपालिका क्षेत्र	आवेदन प्राप्ति से 7 दिवस।	जिला रसद अधिकारी	----	जिला कलक्टर	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग (मुख्यालय)	
2.	शेष नगरपालिका क्षेत्र में		नगरपालिका बोर्ड का अधिशाषी अधिकारी / आयुक्त				
3.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए		विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति अधिकारी				
4.	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत		राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी				

परिशिष्ट–(5)

राज्य को प्राप्त लेवी चीनी का गत वर्षों का आवंटन व उठाव

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2011–12	94692.70	35423.92	37.41
2	2012–13	95683.50	88901.45	92.91
3	2013–14	92629.20	86534.80	93.42
4	2014–15	93196.00	93196.00	100.00

अप्रेल 2015 से नवम्बर,2015 की अवधि में

(मात्रा मै.टन में)

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 15	7342	7342	100.00
2	मई, 15	7342	7342	100.00
3	जून, 15	7342	7342	100.00
4	जुलाई, 15	7342	7342	100.00
5	अगस्त, 15	7342	7342	100.00
6	सितम्बर, 15	7342	7342	100.00
7	अक्टूबर, 15	7342	7342	100.00
8	नवम्बर, 15	7342	7342	100.00
9	त्यौहारी कोटा	5092	5092	100.00
	योगः–	**63828**	**63828**	**100.00**

राज्य को प्राप्त केरोसीन का गत वर्षों का आवंटन व उठाव

(मात्रा के.एल में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2011–12	511332	507648	99.28
2	2012--13	510312	500249	98.03
3	2013–14	508644	501723	98.64
4	2014–15	504960	498236	98.67

अप्रेल 2015से दिसम्बर 2015 की अवधि में

(मात्रा के.एल में)

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,15	41264	40874	99.05
2	मई, 15	41264	40091	97.16
3	जून, 15	41264	39947	96.81
4	जुलाई, 15	41264	38841	94.13
5	अगस्त, 15	41264	40632	98.47
6	सितम्बर, 15	41264	40374	97.84
7	अक्टूबर, 15	41264	40964	99.27
9	नवम्बर, 15	41264	41016	99.40
10	दिसम्बर, 15	41264	40177	97.37
	योगः–	**371376**	**362916**	**97.72**

परिशिष्ट–(7)

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का बजट प्रावधान

(राशि लाखों में)

व्यय बजट शीर्ष / उपशीर्ष	वास्तवित व्यय 2013–14	वास्तवित व्यय 2014–15	मूल प्रावधान 2014–15	संशोधित प्रावधान 2014–15	मूल बजट प्रावधान 2015–16
मांग संख्या : 32 : 3456– सिविल आपूर्ति, 001–निदेशन एवं प्रशासन, (01) खाद्य आयुक्त के माध्यम द्वारा					
(01)– मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न)	385.88	391.89	448.73	454.96	472.14
(02)– जिला कर्मचारी वर्ग (आयोजना भिन्न)	1653.45	1828.22	1960.70	1912.63	2048.22
(02)– प्रभृत व्यय (आयोजना भिन्न)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
(03)– उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयोजना भिन्न)	1645.58	1816.25	1768.17	1885.17	2115.72
(04)– उपभोक्ता मामलात निदेशालय (आयोजना भिन्न)	12.45	15.79	14.97	15.80	16.54
(06)– उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (आयोजना भिन्न)	98.43	9.05	10.00	20.00	20.00
योग (दत्तमत)	**3795.79**	**4061.20**	**4202.58**	**4288.57**	**4672.63**
योग (प्रभृत)	**0.00**	0.00	0.01	0.01	0.01
आयोजना भिन्न मद की योजनाऐं:–					
3456–सिविल आपूर्ति, 102– सिविल पूर्ति योजना, (02) खाद्यान्न वितरण :–					
(01)–91 अन्त्योदय अन्न योजना	3504.30	0.00	0.01	0.01	0.01
(02)–91 मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बी.पी.एल. अन्न योजना	15090.76	0.00	0.01	0.01	0.01
(03)–91 मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत स्टेट बीपीएल अन्न योजना	7993.50	0.00	0.01	0.01	0.01
(04)–91 फूड स्टेम्प योजना	0.04	0.00	1.00	0.50	0.50
(05)–91 सहरिया–कथौडी अन्न योजना	172.92	0.00	0.01	0.01	0.01
(06)–91 एपीएल अन्न योजना	5.34	0.00	0.01	0.01	0.01
3456–102–03–28 चल प्रयोगशाला	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456–102–02–09–49 केरोसीन समानीकरण राशि का भुगतान	154.27	24.29	150.00	50.00	50.00
योग (आयोजना भिन्न योजनाएँ)	**26921.13**	**24.29**	**151.06**	**50.56**	**50.56**
आयोजना मद की योजनाएें:–					
अन्नपूर्णा योजना :–					
3456-102-(01)-[04]-12	149.68	0.50	0.01	1.27	0.01
3456-789-(01)-[01]-12	30.03	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-796-(01)-[01]-12	31.38	0.73	0.01	0.73	0.01
योग (अन्नपूर्णा)	**211.09**	**1.23**	**0.03**	**2.01**	**0.03**
राशन टिकट योजना :–					
3456-102-(01)-[07]-39	182.98	31.31	272.00	32.00	0.01
3456-789-(01)-[02]-39	45.90	6.73	72.00	8.80	0.01
3456-796-(01)-[02]-39	44.47	9.17	56.00	9.20	0.01
योग (राशि टिकट योजना)	**273.35**	**47.21**	**400.00**	**50.00**	**0.03**

व्यय बजट शीर्ष /उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2013-14	वास्तविक व्यय 2014-15	मूल प्रावधान 2014-15	संशोधित प्रावधान 2014-15	मूल बजट प्रावधान 2015-16
निःशक्तजन को अन्न योजना					
3456-102-(02)-[07]-91	1.19	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-789-(01)-[05]-91	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-796-(01)-[05]-91	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01
योग (कुष्ठ रोग से मुक्त अन्न योजना)	**1.24**	**0.00**	**0.03**	**0.03**	**0.03**
घरेलू गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी:-					
3456-102-(04)-[00]-91	7990.95	8490.41	8500.00	8500.00	0.01
3456-789-(01)-[04]-91	2144.67	2250.00	2250.00	2250.00	0.01
3456-796-(01)-[04]-91	1464.38	1750.00	1750.00	1750.00	0.01
योग (घरेलू गैस पर सब्सिडी)	**11600.00**	**12490.41**	**12500.00**	**12500.00**	**0.03**
समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद पर बोनस					
3456-102-(01)-[02]-12	8451.29	20682.9	20682.90	20682.90	0.01
3456-789-(01)-[07]-12	6469.19	7200.00	7200.01	7200.01	0.01
3456-796-(01)-[07]-12	4104.41	4500.00	4500.01	4500.01	0.01
योग (गेंहू खरीद)	**19024.89**	**32382.89**	**32382.92**	**32382.92**	**0.03**
नए राशन कार्डो का कम्प्यूटराईजेशन					
3456-102-(01)-[08]-62	388.37	481.23	1632.00	1360.00	272.00
3456-789-(01)-[03]-62	48.90	81.90	432.00	360.00	72.00
3456-796-(01)-[03]-62	37.71	45.52	336.00	280.00	56.00
योग (राशन कार्ड)	**474.98**	**608.65**	**2400.00**	**2000.00**	**400.00**
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन					
3456-102-(02)-[08]-62	79.67	4143.35	119.67	4624.56	6020.00
3456-789-(01)-[06]-62	38.30	1035.43	31.67	1274.77	1594.00
3456-796-(01)-[06]-62	27.78	811.83	24.63	970.76	1240.00
योग (सा.वि.प्र.कम्प्यू.)	**145.75**	**5990.61**	**175.97**	**6870.09**	**8854.00**
3456-190-(01)-[00]-12 राज. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सहायतार्थ अनुदान	13500.00	0.00	0.01	0.01	0.01
5475-190-(03)-[00]-73 रा.रा.ना.आ.नि.लि. में पूँजी विनियोजन	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
7475-190-(01)-[00]-00 रा.रा.ना.आ.नि.लि. को उधार	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना					
3456-102-(07)-[01]	1491.43	3306.99	3259.00	3515.17	3259.00
3456-789-(03)-[02]	296.20	833.01	1018.00	1018.00	1018.00
3456-796-(03)-[02]	231.39	697.07	815.00	815.00	815.00
3456-102-(07)-[02]	5011.05	14113.85	13108.00	13608.00	12608.00
3456-789-(03)-[03]	1074.21	4307.47	4096.00	4096.00	4096.00
3456-796-(03)-[03]	806.01	3358.35	3277.00	3277.00	3277.00
3456-001-(02)-(1&2)	0.00	94.16	300.30	89.87	2.95
योग (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना)	**8910.29**	**26710.90**	**25873.30**	**26419.04**	**25075.95**

बीपीएल एव अन्त्योदय परिवारों को चीनी वितरण					
3456-102-(02)-[10]-91	0.00	680.00	680.00	680.00	2040.00
3456-789-(01)-[09]-91	0.00	180.00	180.00	180.00	540.00
3456-796-(01)-[09]-91	0.00	140.00	140.00	140.00	420.00
3456-102-(01)-[02]-53	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (चीनी सब्सिडी)	**3000.00**	**1000.00**	**1000.00**	**1000.00**	**3000.00**
बीपीएल परिवारों को आटा वितरण					
3456-102-(02)-[11]-91	0.00	54.58	0.01	223.24	0.01
3456-789-(01)-[10]-91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-796-(01)-[10]-91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
योग	**0.00**	**54.58**	**0.03**	**223.26**	**0.03**
5475-102-(10)-[00]-72 खाद्य विभाग का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एव नवीनीकरण	0.00	0.00	0.01	0.01	52.00
अन्त्योदय अन्न योजना 3456-00-102-(02)-[01]-91	187.92	0.00	0.00	0.00	224.74
उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ 3456-00-001-(01)-[03]	0.00	0.00	0.01	0.01	1.22
उपभोक्ता मामले विभाग 3456-00-001-03 (01&02)	0.00	18.93	60.00	35.03	110.75
योग	**187.92**	**18.93**	**60.02**	**35.05**	**388.71**
3456-001-(01)-[03]-28 उपभोक्ता मंचो का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
5475-102-(09)-[00]-72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमो का आधुनिकी, सुदृढी, नवीनी एवं उन्नयन व्यय (के.प्र.यो)	1.42	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-001-(0)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता हेतु सहायता (के.प्र.यो)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-001-(01)-[05] (05व 62) उपभेक्ता हेल्प लाईन की स्थापना	12.02	3.87	22.73	22.73	22.73
कैरोसीन सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर 3456-(102-06-01),789-02-01),(796-02-01)-91	0.00	0.00	500.02	0.03	0.03
योग	13.44	3.87	522.78	22.79	22.79
महा योग (आयोजना मद की योजनाएं)	**57342.95**	**79309.28**	**75315.11**	**81505.22**	**37741.66**
केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :-					
3456-001-(01)-[03]-28 उपभोक्ता मंचो का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
5475-102-(09)-[00]-72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमो का आधुनिकी, सुदृढी, नवीनी एवं उन्नयन व्यय (के.प्र.यो)	1.42	0.00	0.01	0.01	0.01
5475-102-(09)-[00]-17 राज्य. आयोग का भवन निर्माण	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-001-(0)-[06]-11 उपभोक्ता जागरूकता हेतु सहायता (के.प्र.यो)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
3456-001-(01)-[05] (05व 62) उपभेक्ता हेल्प लाईन की स्थापना	12.02	3.87	22.73	22.73	22.73
कैरोसीन सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर 3456-(102-06-01),789-02-01),(796-02-01)-91	0.00	0.00	500.02	0.03	0.03
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन					
3456-00-(102-(02)-[08]) & (789-(01)-[06]) &(796-(01)-[06])- 62	0.00	514.64	0.00	1394.12	4427.00
योग (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	**13.44**	**518.51**	**522.79**	**1416.92**	**4449.80**

बजट मद 1475—00—800 के अन्तर्गत वास्तविक आय की सूचना

(राशि लाखों में)

बजट मद 1475—00—800	वास्तविक आय 2013—14	वास्तविक आय 2014—15	मूल प्रावधान 2014—15	संशोधित प्रावधान 2014—15	मूल प्रावधान 2015—16
01-नगरीय रसद विभागों से प्राप्तियां	11.86	34.66	13.00	15.00	15.00
02- विभिन्न लाईसेन्सिग आदेशों के तहत प्राप्तियां	20.07	16.55	15.00	10.00	10.00
03- सीमेन्ट आपूर्ति एवं वितरण से प्राप्तियां	0.39	0.01	0.01	0.01	0.01
04-अन्य विविध प्राप्तियां					
(01) विविध	151.23	62.75	90.00	25.00	25.00
(02) खाद्य विभाग के माध्यम से	1234.79	1867.14	900.00	1800.00	1400.00
(05) परिवहन समानीकरण से प्राप्तियां	1388.01	1312.06	1300.00	1600.00	1200.00
(06) अन्तर राशि की प्राप्तियां					
(01) खाद्यान्न की अन्तर राशि	49.38	26.41	0.01	6.00	0.10
(02) केरोसीन की अन्तर राशि	1525.16	2957.63	13.00	2100.00	600.00
(07) उपभोक्ता संरक्षण में परिवाद फाईल करने हेतु फीस	1.22	0.45	0.01	0.50	0.50
(50) अनुपयोगी सामानों/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां					
(01) अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियां	0.17	0.00	0.20	0.50	0.30
(02) अनुपयोगी वाहन के निस्तारण से प्राप्तियां	0.57	1.59	0.01	0.30	0.30
(51)- लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम के तहत प्राप्तियां (01) दोषी कर्मचारी/अधिकारी से वसूली/प्राप्ति	0.02	0.48	0.01	0.50	0.20
योग	**4382.87**	**6279.73**	**2331.03**	**5557.81**	**3251.41**

परिशिष्ट–(8)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
प्रशासनिक संरचना
राज्य स्तर

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त
(1)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले
(1)

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव (2)

सहायक आयुक्त (1)

सहायक निदेशक (सांख्यिकी) (1)

उप विधि परामर्शी (1)

वित्तीय सलाहकार (1)

सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी (1)

जिला रसद अधिकारी (सतर्कता)/(उपभोक्ता मामले)/(प्रोक्योरमेन्ट) (1)

लेखाधिकारी (1)

सहायक लेखाधिकारी (1)

कार्यालय अधीक्षक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी (1)

प्रवर्तन अधिकारी (2)

प्रवर्तन निरीक्षक (2)

संभाग स्तर

संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (संभाग मुख्यालय)
(7)

जिला रसद अधिकारी–सतर्कता (संभागीय आयुक्त कार्यालय)
(4–जयपुर,जोधपुर,बीकानेर,अजमेर)

जिला स्तर

जिला कलक्टर्स रसद (33)

जिला रसद अधिकारी (26)

जिला रसद अधिकारी (प्रथम/द्वितीय) संभाग जिला मुख्यालय (7+7)

जिला रसद अधिकारी (रिट्स) संभाग जिला मुख्यालय जयपुर एवं जोधपुर (2)

प्रवर्तन अधिकारी (103)

प्रवर्तन निरीक्षक (313)

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

हैल्प लाइन – 1800 180 6030 (टोल फ्री)

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर